संख्या– – /जी0एस0/शिक्षा/A15-34/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

=8 JUL 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : जून, 2020

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–3608/एचएनबीयूएमयू/18–19 दिनांक 26 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित **पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति इस उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि "विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् समस्त मानक पूर्ण होने की सन्तुष्टि उपरान्त, सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी आदेश जारी करेगी तथा आदेश की प्रति सूचनार्थ मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगी"** :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
राजकीय नर्सिंग कॉलेज, हल्द्वानी	**बी0एस0सी0 नर्सिंग**	**50**	**2019–20**

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या–654 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A15-34/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।